



भारत सरकार Government of India  
रेल मंत्रालय Ministry of Railways  
रेलवे बोर्ड Railway Board

**Office Order No. 11 of 2025**

**Sub.: Regular looking after arrangement of JSs under Secretary, Railway Board.**

In supersession of previous orders issued on above subject, it has been decided that following would be the regular looking after arrangement of JSs working under Secretary, Railway Board whenever they are on leave or not in office or when the post is temporarily vacant:

Officer	Link Officer	Remarks
Joint Secretary (G)	Joint Secretary (E)	Vice – versa
Joint Secretary	Joint Secretary (M)	-do-
Joint Secretary (D)	Joint Secretary (P)	-do-

2. The above issues with the approval of competent authority.

(T. Srinivas)

No. 2024/O&M/7/3  
New Delhi, Dated: 22.01.2025

Joint Secretary/Railway Board  
Tele No. 011-47845551  
Email: t.srinivas1@gov.in

All Officers and Branches in Board's Office, Office at COMFOW Building and Daya Basti, New Delhi.

Copy to:

EDPG/MR, EDPG/MoSR(R), JDPG/MoSR(S)



भारत सरकार/Government of India  
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways  
रेलवे बोर्ड/Railway Board

2025 का कार्यालय आदेश सं. 11

विषय: सचिव, रेलवे बोर्ड के अंतर्गत संयुक्त सचिवों की कार्यभार देखने की नियमित व्यवस्था।


उपरोक्त विषय पर जारी किए गए पिछले आदेश का अधिक्रमण करते हुए विनिश्चय किया गया है कि बोर्ड कार्यालय में सचिव, रेलवे बोर्ड के अंतर्गत संयुक्त सचिव जब भी छुट्टी पर हो या कार्यालय में न हो अथवा अस्थायी रूप से पद रिक्त हो, तब कार्य देखने व्यवस्था निम्नानुसार होगी:

अधिकारी	लिंक अधिकारी	टिप्पणी
संयुक्त सचिव (जी)	संयुक्त सचिव (ई)	विलोमतः
संयुक्त सचिव	संयुक्त सचिव (एम)	विलोमतः
संयुक्त सचिव (डी)	संयुक्त सचिव (पी)	विलोमतः

2. उक्त को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ जारी किया जा रहा है।

सं. 2024/ओएंडएम/7/3

दिनांक : 22.01.2025

  
(टी.श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

ईमेल: t.srinivas1@gov.in

दूरभाष: 011-47845551

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग तथा दयाबस्ती, नई दिल्ली स्थित सभी अधिकारी एवं शाखाएं।

प्रतिलिपि प्रेषित:

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (आर), संयुक्त सचिव जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस)